न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

अपील सं. 38 / 2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024 / 170

1. संदीप कुमार पुत्र चैनसुख जाति ब्राहमण निवासी 16ए तहसील व जिला अनूपगढ़

– अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राज. जरिए तहसीलदार राजस्व / भू.अ. अनूपगढ़
2. आयुक्त, नगरपरिषद् अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री रविन्द्र कुमार बलाना, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 1**
3. **अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 2**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.10.2024

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा चक 16ए तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 303 / 452 कि. नं. 15 / 0.253, 16 / 0.101 कुल 0.354है. आराजीराज भूमि को नगरपालिका अनूपगढ के नाम से दर्ज कर नामान्तरण सं. 224 स्वीकार किया गया है के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आए। प्रत्यर्थी सं. 2 अनुपस्थित रहे। वकील अपीलार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गयी।
2. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पडदादा बक्शीराम के नाम की चक 1 केएसआर में 50 बीघा भूमि थी जो कि भगवान सदर छावनी में अवाप्त कर ली गई जिस पर अपीलांट की दादी सावित्री देवी जोजा हेतराम निवपासी भगवानसर तहसील सूरतगढ़ ने उक्त भूमि के बदले विशेष आवंटन नियमों के तहत भूमि आवंटन करवाने के लिए सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सावित्री जोजा हेतराम को दिनांक 27.11.1980 को चक 16ए का मु.नं. 302 / 452 की 6–06 बीघा भूमि विशेष आवंटन में आवंटित की गयी। समस्त किश्तें जमा करवाई दी गयी और कब्जा काश्त दादी का ही रहा। अपीलांट की दादी ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी तथा अपीलांट की दादी के देहान्त के पश्चात भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज हो चुकी है और अपीलार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन सहबनसे कि.नं. 15 व 16 की भूमि अपीलांट की दादी के नाम दर्ज न होकर रकबा राज दर्ज हो गयी जिस पर तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया। आलौच्य आदेश बिना जांच किये पारित किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलांट को इसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.08.2024 को हुई। जिसके उपरान्त बिना किसी विलम्ब के यह अपील पेश की है। मियाद माफी हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद मानते हुए अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत राजपैरोकार ने आलौच्य आदेश को

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.11.2012 के विरूद्ध अपील पेश की है जबकि नामान्तरकरण दिनांक 21.11.2012 को स्वीकृत हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपनी मीमो में भूमि का विवरण भी गलत दर्ज किया है। अपील अत्यधिक देरी से पेश की गयी है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश की तिथि 29.11.2012 अंकित है जबकि आदेश दिनांक 21.11.2012 का है, उक्त भूल सद्भावी लिपिकीय भूल मानते हुए पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक दिनांक 11.09.2024 को पेश की है, जबकि उनके द्वारा सर्वप्रथम आलौच्य आदेश का ज्ञान दिनांक 08.08.2024 को होना अंकित किया गया है, यदि अपीलार्थी के कथनों पर विश्वास कर भी लिया जावे तो भी अपीलार्थी द्वारा अपनी निशिचित समयावधि के पश्चात पेश की है। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में दिनांक 21.11.2012 से हुए विलम्ब को लेकर कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया है क्योंकि एक ओर अपीलार्थी स्वयं यह स्वीकार करते है कि भूमि वसीयत के आधार पर उनके नाम से दर्ज हो चुकी है, अपीलार्थी के द्वारा चक 16ए के प.नं. 303/452 मु. नं. 47 कि.नं. 2,3,4,5/1,5/2,6/1,6/2,7,8 व 14 की कुल 1.340है. भूमि की प्रस्तुत छायाप्रति जमाबंदी में वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण की तिथि 30.01.2024 अंकित है। अतः ऐसे में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही वसीयत के आधार पर अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवा लिया हो, और उन्हें राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी नहीं हो। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब कन्डोन किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि भूमि उनकी दादी को आवंटित हुई थी जो रिकार्ड में कि.नं. 15 व 16 की भूमि संहबन से आराजीराज दर्ज हो गयी परन्तु अपीलार्थी द्वारा भूमि अपीलार्थी की दादी को उक्त कि.नं. 15 व 16 की भूमि आवंटित होने तत्पश्चात अपीलार्थी की दादी के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने अथवा आराजीराज दर्ज होने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि आवंटन आदेश दिनांक 02.12.1980 द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, रा.न.यो. घड़साना मु. अनूपगढ़ मि.नं. 31/80 निर्णय तारीख 27.11.1980 अन्तर्गत विशेष आवंटन नियम 13ए राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 में सावित्री जोजा हेतराम को आवंटित भूमि के विवरण में कि.नं. 15 व 16 की भूमि का अंकन नहीं है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)